

विश्वविद्यालय पंच वर्षीय विधि महाविद्यालय
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर


निविदा सूचना

Ref. No. UFYLC/2019/192

Dated: 26.03.2019

विश्वविद्यालय पंच वर्षीय विधि महाविद्यालय, जयपुर द्वारा दो दिवसीय एफ. वाई. एल.सी. राष्ट्रीय सेमीनार दिनांक 20th – 21st अप्रैल, 2019 में 02 (दो) दिन तक नाश्ता एवं भोजन की आपूर्ति एवं व्यवस्था करने हेतु विभिन्न केटर्स/फर्म से सील बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कार्य अनुमानित लागत, निविदा देने एवं प्राप्त करने की दिनांक, समय एवं शर्तें आदि सम्पूर्ण विवरण की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट <http://www.uniraj.ac.in> एवं <http://www.sppp.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।

UNB No. URA1819SSOB00146


(डॉ. सङ्गिता थानवी)
निदेशक



विश्वविद्यालय पंच वर्षीय विधि महाविद्यालय
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
UFYLC NATIONAL SEMINAR-2019

फॉर्म संख्या.....

मैसर्स.....
निविदा शुल्क.....
रसीद संख्या.....दिनांक.....

निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना क्रमांक:.....

दिनांक.....

- 1) निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1000/-
- 2) निविदा प्रपत्र बेचने की अंतिम तिथि व समय 08-04-2019 मध्यान्ह 1:00 बजे।
- 3) निविदादाता द्वारा महाविद्यालय में निविदा प्रस्तुत करने की तिथि 08-04-2019 व समय सांय 4:00 बजे।
- 4) निविदा प्रस्ताव उपस्थित निविदादाता/प्रतिनिधियों के समक्ष खोलने की तिथि व समय 10-04-2019 समय 12:30 बजे।
- 5) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता:.....
.....
.....
डाक का पता (अ) कार्यालय/दुकान
.....
- 6) निविदा DIRECTOR, UNIVERSITY FIVE YEAR LAW COLLEGE, UNIVERSITY OF RAJASTHAN, JAIPUR को सम्बोधित करते हुये प्रस्तुत की जावेगी।
- 7) निविदा शुल्क की राशि रुपये एक हजार बैंक ड्राफ्ट.....दिनांकद्वारा जमा करा दी गयी है।
- 8) मै/हम राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी की गयी निविदा क्रमांकदिनांकमें वर्णित सभी शर्तों/संलग्न शीट में दी गयी उक्त सूचना के अतिरिक्त शर्तों का हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
- 9) सप्लाई की जाने वाले नाश्ता व खाने की सूची (मेन्यू) एवं मात्रा संलग्न सूची में अंकित है सामग्री प्रदान करने का स्थान (FOR) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर का ही स्थान होगा।
- 10) खाद्य सामग्री में उच्च क्वालिटी के देसी घी एवं तेल का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

11) निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा में पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये संदर्भित दस्तावेज (DOCUMENTS)

का विवरण संख्या सहित अंकित करना होगा।

निविदा/संविदा की शर्तें

नोट – निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा निविदा भेजते समय इसकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये, इन शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। इस निविदा/अनुबंध के क्रम में की जाने वाली क्रय/सेवा व सभी आपूर्ति पर राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 व सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, प्रावधान प्रभावी होंगे। यह प्रपत्र अनुबंध का हिस्सा होगा।

- 1) निविदादाताओं को निविदा सूचना, निविदा फॉर्म में दिए गये निर्देशों के अनुसार सम्बोधन तथा मुहर बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना चाहिये।
- 2) निविदाएँ अधिकृत फर्म/केटर्स द्वारा ही दी जायेगी। अतः वे एस. आर-११ में घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
(GF&AR Pt.II Para 48(VII) परिशिष्ट-अ)
- 3) (१) निविदादाता को सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यकर अधिकारी के द्वारा जारी वैट/जी.एस.टी./बिक्रीकर पंजीयन प्रमाण पत्र तथा नवीनतम वैध (Valid) वैट/बिक्री कर समाशोधन प्रमाण-पत्र (क्लियरेन्स सर्टिफिकेट) प्रस्तुत निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।
(२) आयकर चूकता प्रमाण-पत्र को अधिप्रमाणित करा प्रस्तुत किया जायेगा।
- 4) खाद्य सामग्री की निविदा के साथ नियमानुसार अमानत राशि रूपये 5000/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक DIRECTOR, UNIVERSITY FIVE YEAR LAW COLLEGE, UNIVERSITY OF RAJASTHAN, JAIPUR के नाम से संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 5) निविदादाता को निविदा के साथ कार्यालय पते के विवरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र लगाना आवश्यक होगा।
- 6) आदेशित सामग्री/सेवा की मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि हो सकती है जिसकी व्यवस्था निविदादाता को समायोजित करनी होगी तथा इस सम्बन्ध में समस्त अधिकार DIRECTOR, UNIVERSITY FIVE YEAR LAW COLLEGE, UNIVERSITY OF RAJASTHAN, JAIPUR के पास सुरक्षित रहेंगे।
- 7) निविदा के साथ संलग्न सूची में वर्णित प्रत्येक आइटम की एकल दरें ही मानी होगी, एक से अधिक दरें देने पर सम्बन्धित आइटम की दर अमान्य होगी।

- 8) निविदादाता द्वारा प्रस्तुत ड्रोन में जी.एस.टी. व अन्य समस्त कर दरें सम्मिलित होंगे।
- 9) निविदा प्रारूप स्याही से या टंकण से भरा जावेगा। पेंसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदादाता, निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर करेगा।
- 10) दरें नियम स्थान पर शब्दों व अंकों दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियाँ (Errors) एवं/उपरी लेखन (Over Writing) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धियाँ करनी आवश्यक हो तो वे स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।
- 11) निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में, अंको एवं शब्दों में अंतर नहीं होना चाहिये। अंतर होने की स्थिति में जो भी दर कम होगी, उन पर विचार किया जायेगा।
- 12) निविदा में वर्णित सामग्री की सभी इकाई की दरों के योग के आधार पर एक ही फर्म/केटर्स को दिया जायेगा।
- 13) निविदाये उनके खोले जाने की तिथि से 90 दिन की अवधि तक के लिये वैध मानी होगी।
- 14) आपूर्तिकर्ता अपनी संविदा को या किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंसी के लिये नहीं सौपेगा या उप-भाड़े (सब-लैट) पर नहीं देगा तथा निविदा जिस नाम से बेची जायेगी उसी से ही स्वीकार की जावेगी।
- 15) (अ) संयोजक यदि निविदाकारों की दरों/सैम्पल से संतुष्ट नहीं हो तो उन्हें अन्य फर्मों/केटर्स से बातचीत करने का अधिकार है तथा किसी/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का भी पूर्ण अधिकार होगा।
(ब) सप्लाई की गयी वस्तुये/सेवा निविदा के निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क एवं स्पेशिफिकेशन के पूर्णरूप होगी तथा निर्धारित उचित गुणवत्ता एवं मेन्यू के अनुरूप होगी जिसका निरीक्षण सामग्री प्राप्त होने के समय किया जायेगा।
- 16) सप्लाई/तैयार सामान जब भी प्राप्त किया जायेगा, कि वे निविदा स्पेशिफिकेशन के अनुरूप हैं।
- 17) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान, जो नाश्ता/खाना/सेवा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पायी जायेंगी तो उन्हें रद्द कर दिया जायेगा तथा निविदादाता को इसी खाद्य सामग्रियों को निविदादाताओं द्वारा नियत/निर्धारित समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा।
- 18) अनुबंध/निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस दिए अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध की अवधि में यदि कोई विवाद होता है तो उस विवाद को निर्णित करने के सम्बन्ध में
DIRECTOR, UNIVERSITY FIVE YEAR LAW COLLEGE, UNIVERSITY OF RAJASTHAN, JAIPUR का निर्णय अंतिम होगा, जो निविदादाता को मानना होगा।

- 19) निविदादाता खाने-पीने की उचित व्यवस्था करने के लिये उत्तरदायी होगा। किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूट-फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी में मामले में निविदादाता उन सामग्रियों की जांच/निरिक्षण किये जाने पर पायी गयी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिये अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 20) संलग्न सूची के अनुसार निविदा की दरें अनुबंध निष्पादन/आदेश प्रदान करने की तिथि से तीन महीने तक के लिये मान्य होंगे।
- 21) आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री की आपूर्ति/सेवा विभागीय आवश्यकता/मांग के अनुरूप आदेश के अनुसार आदेशित अवधि के अंदर की जायेगी।
- 22) आपूर्तिकर्ता को खाद्य सामग्री एवं व्यवस्था के साथ कैंटरिंग, बैरे, मिनरल वाटर, फर्नीचर एवं अन्य खाना तैयार करने की जरूरी सामग्री की व्यवस्था/सर्विस स्वयं को करनी होगी तथा इनके लिए अलग से कोई पेमेंट नहीं किया जायेगा एवं बिल का भुगतान वास्तविक उपस्थिति के अनुसार ही होगा।
- 23) धरोहर/अमानत राशि का समपहरण : अमानत/धरोहर राशि का निम्नलिखित मामलों में समपहरण कर लिया जायेगा-
- (प) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है अथवा रुपान्तरण करता है।
- (पप) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
- (पपप) जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता हो।
- (अ) निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर।
- (पअ) निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण सप्लाई/सेवा/व्यवस्था संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहने पर।
- (अप) यदि निविदादाता इन नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बोली लगाने वाले के लिये निहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबन्ध को भंग करता है।
24. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप:
- (प) सफल निविदादाता को सप्लाई आदेश प्राप्ति के दो दिवस में नाश्ता व खाना देने व व्यवस्था करने के लिये रूपये 1625/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
- (पप) स्वीकृत निविदादाता को, जिन नाश्ता व खाना के लिये निविदाये स्वीकार की गई है उनके निविदा मूल्य की राशि के 10% प्रतिभूति (Security) के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक जमा करना आवश्यक होगा।
- (पपप) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक के रूप में प्राप्त प्रतिभूति राशि पर विश्वविद्यालय पंच वर्षीय विधि महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।

25. परिनिर्धारित क्षति (पैनल्टी), कम प्रदाय, टूट-फूट रदद् की गई वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिलों से रोकी जायेगी। कम सप्लाई, टूट-फूट रदद् किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (पैनल्टी) के साथ वसूली, उसकी देय राशि, क्लेम्स एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी।
26. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा-
- (प) यदि भागीदारी फर्म हो तो पार्टनरशीप डीड की एक अभिप्रमाणित प्रति।
- (पप) यदि भागीदारी फर्म, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीकृत संख्या एवं उसका वर्ग सहित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति।
- (पपप) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
- (पअ) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
27. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों में उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न है, तो
DIRECTOR, UNIVERSITY FIVE YEAR LAW COLLEGE, UNIVERSITY OF
RAJASTHAN, JAIPUR का निर्णय निविदादाता को मानी होगा।
28. भुगतान-
- I. राशि का भुगतान दिए गये आदेश के अनुरूप नाश्ता व खाना एवं सेवा पूर्ण तथा सही हालत में प्राप्त होने पर दिया जायेगा।
 - II. भुगतान निविदादाता क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा तथा सभी प्रेक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
 - III. नियमानुसार देय भुगतान के स्रोत पर कर कटौती की जायेगी तथा इस हेतु निविदा के पैन/आयकर प्रमाण-पत्र की संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।
 - IV. निविदादाता द्वारा अंकित की गई दर में सभी प्रकार के कर एवं व्यय, निविदा ड्रोन के अनुसार सम्मिलित होंगे।
29. समान विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार द्वारा या निविदादाता द्वारा जयपुर स्थित न्यायालय में पेश किया जायेगा।
30. निविदा गत तीन वर्षों में ब्लेक लिस्ट/सप्लाई में डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। इस आशय का प्रमाण पत्र रूपये 50/- के स्टाम्प पेपर पर फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
31. निविदा जमा एवं खोलने के दिन अवकाश/कार्यालय बंद होने पर उक्त कार्य पूर्व निर्धारित समय पर अगले कार्य दिवस में सम्पन्न होंगे।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है, जो हमे स्वीकार्य है, जिसकी सहमति के रूप में निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

संलग्न – सामान की सूची

हस्ताक्षर निविदाकार

अमानत/धरोहर राशि रु.....

फर्म का नाम.....

बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संख्या.....दिनांक.....

.....

बैंक का नाम.....

पूर्ण पता.....

.....

फोन/मो.न.....

पैन.न.....



विश्वविद्यालय पंच वर्षीय विधि महाविद्यालय

राजस्थान विश्वविद्यालय

जयपुर -302004

निविदा-प्रपत्र

निविदा सूचना क्रमांक:UFYLC/2019/

दिनांक :

विश्वविद्यालय पंच वर्षीय विधि महाविद्यालय, जयपुर द्वारा यू.एफ.वाई.एल.सी. राष्ट्रीय सेमीनार दिनांक 20th व 21st अप्रैल, 2019 में उपयोग में आने वाली नाश्ता खाना व सेवा की आपूर्ति एवं व्यवस्था करने हेतु विभिन्न केटर्स/फर्म से आपूर्ति की मुहरबंद निविदाएं निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र. संख्या	दिनांक	आईटम	मेन्यू	सम्भावित संभागी	बेसिक दर प्रति यूनिट सभी करों /जी.एस.टी. रहित	दर प्रति यूनिट सभी करों /जी.एस.टी. सहित
1.	20.04.2019	ब्रेक-फास्ट	सैंडविच, जलेबी, मिक्स वेज पकौड़ा, हरी चटनी, मीठी चटनी, चाय-कॉफी, पानी(R.O.) एवं ग्लास	250		
2.	20.04.2019	लंच	टोमेटो सूप बेजिटेबल पुलाव, दही बड़ा, हरी चटनी, मीठी चटनी, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, दाल तडका, चपाती सादा व मिस्सी, नान, तन्दूरी रोटी, ग्रीन सलाद, पापड़, अचार, पानी(R.O.) एवं ग्लास, गुलाब जामुन, आईसक्रीम	250		
3.	20.04.2019	हाई-टी	चाय, समोसा (छोटी साईज), कुकीज, पानी(R.O.) एवं ग्लास	250		
4.	21.04.2019	ब्रेक-फास्ट	इडली-साम्भर, सैंडविच, हरी चटनी, चाय, कॉफी, पानी(R.O.) एवं ग्लास	250		
5.	21.04.2019	लंच	बटर पनीर मसाला, जीरा राईस, चपाती सादा व मिस्सी, स्फ भिड़ी, दाल मखानी, सलाद, पापड़, अचार, पानी(R.O.) एवं ग्लास, छेना रसगुल्ला/काचा गोला, आईसक्रीम	250		
6.	21.04.2019	हाई-टी	चाय मठरी, सांखे, बिस्किट, पकौड़ी, पानी(R.O.) एवं ग्लास	250		

नोट:-

1. सभी आइटमों दरों के कुल राशि के आधार पर निविदादाता फर्म/कैटर्स का चयन किया जायेगा।
2. आपूर्तिकर्ता को नाश्ता एवं खाने की सामग्री एवं व्यवस्था के साथ केटरिंग, बैरे, मिनरल वाटर, फर्नीचर, एवं अन्य खाना तैयार करने की जरूरी सामग्री की व्यवस्था/सर्विस स्वयं को करनी होगी, तथा इनके लिए अलग से कोई पेमेन्ट नहीं किया जायेगा।

हस्ताक्षर निविदाकार

फर्म का नाम.....

.....

पूर्ण पता.....

.....

(SR-11)

एस.आर. प्रारूप-11

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिये निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम वास्तविक केटर्स/फर्म/एवं उत्पादनकर्ता हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहस्त (forfeited) कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता


फर्म का नाम.....

पूर्ण पता.....

.....

.....

(नोटेरी से प्रमाणित करवाया जावे)



विश्वविद्यालय पंच वर्षीय विधि महाविद्यालय
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर -302004

निविदा-प्रपत्र

निविदा सूचना क्रमांक:UFYLC/2019/

दिनांक :

पंच वर्षीय विधि महाविद्यालय, जयपुर द्वारा यू.एफ.वाई.एल.सी. राष्ट्रीय सेमीनार दिनांक 20th व 21st अप्रैल, 2019 (20th & 21st April, 2019) में उपयोग में आने वाली नाश्ता खाना व सेवा की आपूर्ति एवं व्यवस्था करने हेतु विभिन्न केटर्स/फर्म से आपूर्ति की सुहरबंद निविदाएँ निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती हैं:-

S.N o.	Name of Work	Approx cost of work (in Lacs)	Tende r Cost	Ernest Money	Security Fund	Period of Completion	Last date for sale of Tender	Date of Received of Tender
1.	Supply and arrangement of food material the Catering services in NATIONAL SEMINAR ON ACCESS TO CRIMINAL JUSTICE (20 th & 21 st April 2019) at University Five Year Law College, University of Rajasthan, Jaipur	1.60	1000	5000	16,000	3 Months	08.04.2019 At 01:00 PM	08.04.2019 At 4:00 P.M.
Total		1.60	1000	5000	16,000			

Note:-


The sale of tender document will start from 26-03-2019

Tender document can be obtained up to 01:00 PM on 08-04-2019 from University Five Year Law College, University of Rajasthan, Jaipur after depositing required tender cost.

Tender will be received up to 4:00 PM on 08-04-2019 and will open at 12:30 p.m. in presence of tenders on dated 10-04-2019

Tender cost and earnest money will be accepted in the DD/Bankers cheque in favour of "Director, University Five Year Law College, University of Rajasthan, Jaipur" payable at Jaipur.

Competent authority reserves the right to cancel any tender without any reason.


(Dr. Sanjula Thanvi)
Director